

प्रेषक,

अधिकाशासी अभियन्ता,
लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक:— /ल0डा0न0ख0गा0/निविदा/2019-20/ दिनांक:—

विषय:— ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या-04/ल0डा0न0ख0गा0/2019-20 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या-04/अधि0अभि0ल0डा0न0ख0गा0/2019-20 की 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसे प्रमुख समाचार पत्रों में दो बार एक दिन के अन्तराल में प्रकाशित कराने की कृपा करें। इस कार्यालय का ई-मेल आई0डी0 ee.mlcdgzp@gmail.com और दूरभाष संख्या-0548-2220899 है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

6 प्रतियों में एक अद्द सी0डी0।

भवदीय

(संजीव प्रताप सिंह)
अधिकाशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:— /ल0डा0न0ख0गा0/निविदा/2019-20/ दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (नलकूप-वाराणसी), सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 वाराणसी।
3. जिलाधिकारी-गाजीपुर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
5. पुलिस अधीक्षक-गाजीपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को एक अद्द सी0डी0 एवं निविदा प्रपत्र सहित इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा को कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, गाजीपुर।
8. अधिकाशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड-प्रथम/द्वितीय, गाजीपुर।
9. जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
10. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर।
11. नोटिस बोर्ड।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

अधिकाशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर।

अल्पकालिक ई-निविदा

ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की ई-निविदा सूचना संख्या-04/ल0डा0न0ख0गा0/2019-20

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से प्रीक्वालीफिकेशन टेक्नीकल एवं फाइनेन्सियल बिड सिंचाई विभाग में वंगीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से दिनांक:-28.09.2019 की सांय 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। यह बिड/निविदा दिनांक:-18.09.2019 से 28.09.2019 की सांय 5:00 बजे तक उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती है। प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल बिड दिनांक:-30.09.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे निर्धारित समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में आनलाईन खोली जायेगी। तत्पश्चात् प्री-क्वालीफिकेशन बिड में क्वालीफाई घोषित ठेकेदारों की फाइनेन्शियल बिड उसी दिन दिनांक:-30.09.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द या अवकाश होने की दशा में बिड अगले कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार खोली जायेगी।

लाट सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत जी०एस०टी० सहित (रु० लाख में)	धरोहर राशि (लाख रु०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु०)	पंजीकृत श्रेणी (सिविल)
1	जनपद-गाजीपुर के विकासखण्ड-करण्डा में स्थित चोचकपुर पम्प नहर के 0.600 से 0.900 किमी० तक 1 st Class Brick Lining का कार्य, निर्माण सामग्री (सीमेण्ट एवं ईटों को छोड़कर), श्रमिक एवं उपकरणों सहित विभागीय ड्राइंग एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाना। सभी कार्यों का सम्पादन बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार कराया जायेगा।	19.14	0.39	03 माह	300.00 + 18% GST	“ग” या उच्च श्रेणी
2	जनपद-गाजीपुर के विकासखण्ड-करण्डा में स्थित चोचकपुर पम्प नहर के 0.900 से 1.200 किमी० तक 1 st Class Brick Lining का कार्य, निर्माण सामग्री (सीमेण्ट एवं ईटों को छोड़कर), श्रमिक एवं उपकरणों सहित विभागीय ड्राइंग एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाना। सभी कार्यों का सम्पादन बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार कराया जायेगा।	19.14	0.39	03 माह	300.00 + 18% GST	“ग” या उच्च श्रेणी

यह निविदा/बिड व शर्तें आदि सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in>, सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देख/प्राप्त कर सकेंगे।

(संजीव प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर

नियम एवं शर्तें:-

- 1- यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र <http://etender.up.nic.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2), स्वघोषण शपथ पत्र (IDT-3) तथा श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) का ड्राफ्ट, धरोहर धनराशि, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर के समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा अनुबन्ध के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 2- Technical evaluation will do manually and result will upload online. Financial bid will be accepted only for those bidders who will be qualified in the technical bid. Financial bidding result will show online.
- 3- निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
- 4- निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ में ई-टेंडरिंग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ई-टेंडरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवही पूर्ण करनी होगी।
- 5- निविदादाता को टेंडर सेल धनराशि जी0एस0टी0 सहित अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट (मूल रूप में) तथा IDT-1, IDT-2, IDT-3 निर्धारित श्रेणी का प्रमाण-पत्र, टर्न ओवर के मूल प्रमाण पत्र कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय में दिनांक:-30.09.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जमा करने होंगे अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त प्रमाण पत्रों एवं अन्य सूचनाओं की स्कैन्ड कापी भी बिड के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 6- धरोहर धनराशि राष्ट्रीकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के नाम/पक्ष में बन्धक तथा गाजीपुर में देय होना अनिवार्य है। जिसकी स्कैन्ड कॉपी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा अनुबन्ध के समय मूल प्रति/एफ0डी0आर0 उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 7- प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial bid/price bid) के साथ रू0-100.00 के जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपयें का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इसके पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी आनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। ठेकेदार को नियमानुसार देय बिक्रीकर, जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प, ड्यूटी, रायल्टी, लेबर वेलफेर सेस देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपाजिट भी जमा करना होगा।
- 8- कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार को कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 9- निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 10- निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 11- इस निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- 12- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूचनी में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 13- राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संस्तुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 14- शासनादेश संख्या-622/23/12/2012/2/आफिट/08 टी0सी0, दिनांक:-08.06.2012 में निहित निर्देशानुसार कार्यो का विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत दर कम डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफारमेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अनुबन्ध गठन करना सम्भव होगा तथा सिक्योरिटी एवं परफारमेन्स गारण्टी की धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- 15- शासनादेश संख्या-1862/16-27-सिं-3-08 टी/84, दिनांक:-14.12.2016 के अनुसार निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्य कर सकेगा व डाल सकेगा। शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 16— यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दवाब/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 17— विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने का स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना, निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी एवं आनलाइन अपलोड कर दिया जायेगा।
- 18— चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्व० घोषण प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकोर का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
- 19— प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक-ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
- 20— ऐसे निविदादाता, जिनका कोई सगा-सम्बन्धी (First Blood Relation & Their Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसी होंगे, को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारी पर एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि खण्ड अथवा मण्डल में कार्यरत है।
- 21— सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया जायेगा।
- 22— टी०ए०सी०/आडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित वसूली सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन की जायेगी।
- 23— शासनादेश संख्या-2136(1)/15-27-सिं-9, दिनांक:-17.08.2015 के अनुसार ठेकेदार को अनुबन्ध गठन से पूर्व इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा। घोषणा पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।
- 24— प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को बिड के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है—
 (क) वैध पंजीयन की प्रति।
 (ख) टिन तथा पैन कार्य की प्रति।
 (ग) 100 रुपये की जुडिशियल स्टैम्प पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी।
 (घ) जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन नम्बर।
- 25— कार्य की दरों में जी०एस०टी० शामिल नहीं होगा। जी०एस०टी० का भुगतान कार्य के भुगतान के समय शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ठेकेदार को अलग से किया जायेगा।
- 26— ठेकेदार द्वारा श्रम विभाग में श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ठेकेदार का भी वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- 27— कार्य में प्रयुक्त हाने वाले उपखनिज (गिट्टी, बालू आदि) का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम०एम-11) के साथ रायल्टी जमा किये जाने का ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति बीजक बनवाने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी जमा करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ठेकेदार के कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
- 28— निविदा डालने वाले निविदादाता/बिडर को लघु डाल नहर खण्ड गाजीपुर में कार्य करने का अनुभव हो, जिसके प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(संजीव प्रताप सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता,
 लघु डाल नहर खण्ड, गाजीपुर